प्रेषक,

राहुल प्रकाश,

आई0डी0 यू0पी0 6429

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पश्चिम),

लखनऊ

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा–

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,

लखनऊ

विषय– <u>पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024 के माध्यम् से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या Sa-3-379/ X-2005-301(9)-2003 Dated 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी पेंशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उ0प्र0 सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ0प्र0 न्यायिक सेवा/यूपी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांकित 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने हेतु शासनादेश संख्या 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.24 जारी किया गया है।

श्रीमान् जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 के माध्यम् से उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1208/डीआर (एस)/2006 के अनुक्रम में हुई थी। तत्पश्चात् अधोस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 19.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश के आलोक में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विकल्प के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

(राहुल प्रकाश), 2/8/2024
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पश्चिम),
लखनऊ
आई0डी0 यू0पी06429

दि0–02.08.2024

<u>संलग्नक :–</u>

1. शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 की छायाप्रति।
2. उक्त शासनादेश दि0 28.06.2024 के अनुक्रम में विकल्प हेतु जारी शासनादेश संख्या 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 की छायाप्रति।
3. उ0प्र0, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 की छायाप्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रोफाइल की छायाप्रति।
5. माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1087/डीआर (एस)/2006 की छायाप्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
पत्रांक 3805/XV दिनांक 03/8/24
अग्रसारित किया गया।

जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

शासनादेश संख्या–20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प पत्र

1. नाम– राहुल प्रकाश
2. वर्तमान पदनाम– विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पश्चिम) / अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
3. वेतनमान– 144840–194660 (Level 14)
4. वर्तमान विभाग का नाम– जिला एवं सत्र न्यायालय,लखनऊ।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम– नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन
6. विज्ञप्ति की तिथि– 15 नवम्बर 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि– 26.05.2006 (UP Government Appointment/Notification No.2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.05.2006 & Hon'ble High Court Notification No-1208/DR(S)/2006 dated June 19, 2006)
8. योगदान की तिथि– 19 जून 2006
9. जन्मतिथि– 29.04.1979
10. सेवानिवृत्ति की तिथि– 30 जून 2039

मैं राहुल प्रकाश पुत्र / ~~पुत्री~~ / ~~पत्नी~~ स्व0 चन्द्र मणि प्रसाद, शासनादेश संख्या 14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** (√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– Rahul Prakash

नाम– राहुल प्रकाश
U.P.6429
पदनाम– विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0(पश्चिम) / अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

घोषणा पत्र

मैं राहुल प्रकाश, पदनाम विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पश्चिम) / अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ यह घोषणा करता / करती हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Rahul Prakash

नाम– राहुल प्रकाश
U.P.6429
पदनाम– विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0(पश्चिम) / अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राहुल प्रकाश, पदनाम विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पश्चिम) / अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** (√) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
Lucknow

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2– इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SRI RAHUL PRAKASH

Judge, Spl Court, Anti Corr CBI (W)
Lucknow

Id No:	UP6429
Father's/Husband's Name:	CHANDRA MANI PRASAD
Date of Birth:	29-04-1979
Date of Retirement:	30-04-2039
Home District:	Sonbhadra
Home State:	Uttar Pradesh
Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD):	19-06-2006
Date of Promotion in CJ/CJ(SD):	20-12-2013
Date of Conf. on Munsif/CJ(JD):	11-09-2019
Date of Promotion to Class-I:	20-12-2013
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	27-07-2019
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	Passed	1994
2.	Intermediate	Passed	1996
3.	B.Com.	Passed	1999
4.	LL.B.	Second	2003

Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Foundation/Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	16-10-06 - 29-11-06
2.	Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-07-07 - 16-08-07
3.	Refresher Training Programme (RTFC-1)	I.J.T.R., U.P. Lucknow	07-02-11 - 16-02-11
4.	Special Training Programme on Court Administration and Management	AIMT, Greater Noida	19-03-12 - 24-03-12
5.	Refresher Training Programme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	11-02-13 - 15-02-13
6.	Refresher Training Programme for Civil Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	24-02-14 - 28-02-14
7.	Ubuntu-Linux 14.04 Cum CIS Training Programme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	14-09-15 - 15-09-15
8.	Refresher Training Programme for Civil Judges	I.J.T.R., U.P. Lucknow	21-08-17 - 25-08-17
9.	Training Programme on UBUNTU 16.04 & CIS 2.0	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-04-18 - 03-04-18
10.	Management Development Programme for Judicial Officers	IIPA, New Delhi	08-04-19 - 12-04-19

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Bhadohi at Gyanpur	19-06-2006 06-06-2009	
2.	Metropolitan Magistrate Kanpur Nagar	08-06-2009 26-07-2011	
3.	Civil Judge (Junior Div.) Kanpur Nagar	27-07-2011 16-04-2012	
4.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Agra	18-04-2012 18-05-2012	

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003**

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2 इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूची में दिए गए डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। **जे.पी.जी. सिरीज** के आवेदन पत्रों (सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य **रू. 150/-** तथा **जे.पी.आर. सिरीज** (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रु. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3 अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट 1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2 **रिक्तियाँ** :- रिक्तियों की कुल संख्या 347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ आवंटित हैं। शासनादेश संख्या 18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए प्रविधानानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के समाज के विकलांगों को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्ररूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ - (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. 15768/2001 प्रमुल सरकार बनाम [illegible] (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम [illegible] (3) विशेष [illegible]

[illegible]

जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। हाथों हाथ आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

8. **डाकघरों की सूची** :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 122), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैंटोनमेंट लाइन्स (211 004), इलाहाबाद दारागंज 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर 224 122, औरैया-200 122, आजमगढ़- 276 001, बदायूँ 243 601, बागपत-250 009, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बस्ती)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलन्दशहर-203 001, चन्दौली-232 109, चित्रकूट (कर्वी)-201 205, देवरिया-274 001, एटा-207 005, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-207 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, ज्योतिबाफूलेनगर (अमरोहा) 272 127, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ. 208 004, कानपुर कैन्ट 208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मझनपुर) 212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महराजगंज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), संत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर 242 001, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर (डिटरी बाजार), सीतापुर- 267 001, सोनभद्र (राबर्टसगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. - 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

9. **महत्वपूर्ण निर्देश** :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिमतिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(4) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनको सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए [illegible] की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1976 [illegible] निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन [illegible]

[illegible]

साक्षात्कार में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(5) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो), का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1	आगरा	2	इलाहाबाद
3	बरेली	4	गोरखपुर
5	झाँसी	6	लखनऊ
7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम 2 घंटे अंक-150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में [illegible] पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर [illegible] होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे [illegible] में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय 2 घंटे अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विधि रूप से विधिक क्षेत्र में [illegible] रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(I) विधि शास्त्र
(II) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(III) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
(IV) भारतीय संविधान
(V) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(VI) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(VII) भारतीय दण्ड संहिता
(VIII) सिविल प्रक्रिया संहिता
(IX) आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(X) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

[illegible]

5.	Civil Judge (Junior Div.) Ayodhya	21-05-2012 01-01-2014	
6.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Lakhimpur Kheri	02-01-2014 12-10-2015	
7.	Addl. Chief Judicial Magistrate Lakhimpur Kheri	12-10-2015 19-02-2016	J.M. (Economic Offences)
8.	Civil Judge (Sr.Div.)/ ACJM Mohammadi-Lakhimpur	19-02-2016 01-04-2016	
9.	Civil Judge (Senior Div.) Lakhimpur Kheri	01-04-2016 08-05-2017	
10.	Addl. Chief Judicial Magistrate Sultanpur	10-05-2017 20-02-2018	
11.	Addl. Chief Judicial Magistrate Sultanpur	20-02-2018 23-04-2018	J.M. (Economic Offences)
12.	Civil Judge (Senior Div.) Sultanpur	23-04-2018 29-07-2019	
13.	A.D.J. (FTC) Sultanpur	29-07-2019 22-08-2019	
14.	Addl. District & Sessions Judge Sultanpur	22-08-2019 13-12-2019	
15.	A.D.J. (POCSO) Sultanpur	13-12-2019 29-02-2020	
16.	A.D.J. (POCSO) Sultanpur	29-02-2020 12-04-2021	
17.	Addl. District & Sessions Judge Sitapur	16-04-2021 14-11-2022	
18.	A.D.J. (POCSO) Sitapur	14-11-2022 21-11-2023	
19.	Addl. District & Sessions Judge Lucknow	22-11-2023 13-04-2024*	
20.	Judge, Spl Court, Anti Corr CBI (W) Lucknow	13-04-2024*	

(* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)

(67) WhatsApp https://web.whatsapp.co

You
Today

10:57 AM

DOC-20240718-WA00...

29

No. 1200 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Arvind Vikas**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Mathura.

No. 1201 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikash Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Muzaffarnagar.

No. 1202 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Sandeepa Yadav**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Fatehpur.

No. 1203 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Kundan Kishor**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kannauj.

No. 1204 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Shalini Sagar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun.

No. 1205 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Shailendra Verma**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur.

No. 1206 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Ravi Kant**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Azamgarh.

No. 1207 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Sweta Verma**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lakhimpur Kheri.

No. 1208 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Rahul Prakash**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bhadohi at Gyanpur.

Mobile view Preview Projection Edit

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–